निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 304) पटना, बुधवार, 1 अप्रील 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2026

सं० एल०जी०-01-10/2026/2624 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव–सह–प्रभारी
सचिव।

[बिहार अधिनियम 07, 2026]

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (बिहार अधिनियम 16, 1983) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

(1) यह अधिनियम ''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026'' कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा 22 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) में वर्णित शब्द ''पच्चीस रुपये'' शब्द ''पचास रुपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव—सह—प्रभारी
सचिव।

1 अप्रील 2026

सं० एल०जी०-01-10/2026/2625 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमत बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 07, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा:-

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव—सह—प्रभारी
सचिव।

[Bihar Act, 07, 2026]

Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2026

AN

ACT

to amend the Bihar Advocates' Welfare Fund Act, 1983 (Bihar Act 16, 1983)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, Extent and Commencement.-**

(1) This Act may be called the Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. **Amendment of Section-22 of the Bihar Act-16, 1983.-** The words "Twenty Five Rupees" mentioned in Sub-Section (1) of Section 22 of the said Act shall be substituted by the words "Fifty Rupees".

Basno Shanker Mehrotra,
Sepicial Secretary-cum- Secretary Incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 304-571+400-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in